

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

वादीगण की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता, व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 843 दिनांक 19.12.25 के आधार पर वाद पत्र निम्नानुसार खाता विभाजन कर अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा।

1. हेतराम पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी बड़ोपल :-चक 15 एसपीडी प.नं. 166/13 मु.न. 1 के किला नं. 4/2/0.127, 5/0.253, 6/0.253, 15/1/0.126 उत्तर पासा कुल 0.759 हैक. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे।


3
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



2. **औम प्रकाश पुत्र रामलाल वगैरह** खाता संख्या 17 में कम संख्या 1 ता 25 तक को प.नं. 166/13 (1) के किला नं. 4/2/.152, 14/2, 15/2/.127 दक्षिण पासा, 16 /2/.240, 17/2/.012, 25/2/0.139 प.नं. 166/32(15) के किला नं. 1/3 ता 24 की 3.542 हैक्. इस प्रकार कुल तादादी 4.212 हैक्. का खाता विभाजन कर रकमराज अलग कायम की जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होंने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होंने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होंने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होंने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/ गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 29/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(उमम मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा